भवन एवम अन्य सन्निर्मान कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग उत्तराखंड

निर्माण श्रमिकों हेतु निर्मित अधिनियम

विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो अधिनियम बनाये गये हैं :–

1–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्राविधान है।

2–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा केन्द्रीय उपकर नियम, 1998 जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों से उपकर प्राप्त किये जाने का प्राविधान है।

अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण :–

निर्माण श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिए संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक अन्य अधिनियम **"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996"** अधिनियमित किया गया तथा वर्ष 1998 में केन्द्रीय नियमावली **"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998"** भी विनिर्मित की गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (मुख्य अधिनियम)" के अन्तर्गत आवृत्त निर्माण प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों द्वारा निर्माण कार्य की लागत का 1% की दर से उपकर की धनराशि कल्याण निधि में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी श्रमिकों के पंजीयन एवं अभिदाय (Contribution) की धनराशि भी कल्याण निधि में जमा किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त कार्यों हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा–3 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा SO 2899, दिनांक : 26.–09–1996 के अनुसार निर्धारित (specified) निर्माण लागत के 1% के बराबर उपकर की धनराषि निर्धारित किये जाने हेतु उपकर निर्धारण अधिकारी (Cess Assessing Officers) उपकर संग्राहक अधिकारी (Cess Collectors) एवं अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Officers) की नियुक्ति की गई है।

उपकर संग्रहण/निर्धारण अधिकारी :–

- उपकर संग्रहण एवं निर्धारण हेतु शासन द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं विभिन्न निर्माण से संबंधित विभागों के निम्नांकित अधिकारियों को भी अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत "उपकर संग्राहक" (Cess Collector) तथा उपकर निर्धारण अधिकारी (Cess Assessment Officer) नामित किया गया है :–

1–समस्त तहसीलदार – "उपकर संग्राहक" (Cess Collector)

2–समस्त उप जिलाधिकारी – उपकर निर्धारण अधिकारी (Cess Assessment Officer) सैस संग्रहण एवं निर्धारण हेतु।

उपरोक्त के अतिरिक्त नामित "उपकर संग्राहक" (Cess Collector) तथा उपकर निर्धारण अधिकारी (Cess Assessment Officer)

3–सचिव, समस्त विकास प्रधिकरण।

4–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, पेयजल निर्माण विंग तथा जल संस्थान, उत्तराखण्ड।

5–मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम।

6–अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत तथा कार्याधिकारी जिला पंचायत।

7–अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

8–ग्राम्य विकास विभाग के समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

9–मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड के समस्त उप निदेशक (निमार्ण)।

10–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के समस्त अधिशासी अभियन्ता।

11–उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल)– महाप्रबंधक स्तर से अनिम्न अधिकारी।

12–कुमाँऊ मण्डल विकास निगम/गढ़वाल मण्डल विकास निगम–महाप्रबंधक स्तर से अनिम्न अधिकारी।

13–उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड–समस्त अधिषासी अभियन्ता।

14–पर्यटन विकास परिषद–समस्त प्रबंधक।

15–समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड–प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।

16–श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड, के अन्तर्गत उप/सहायक निदेषक कारखाना एवं ब्वायलर।

आवृत्त निर्माण अधिष्ठान कौन हैं? तथा उनके द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है?

- मुख्य अधिनियम, 10 या 10 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले निर्माणकर्ता प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, किन्तु निजी आवासीय भवन जिनकी निर्माण लागत 10 लाख से अधिक न हो, पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। आवृत्त सेवायोजक द्वारा 60 दिन के अन्दर अपने अधिष्ठान का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है तथा नियमानुसार प्रपत्र–I में निर्धारण अधिकारी को सूचना दिया जाना भी आवश्यक है। प्रतिष्ठान के सेवायोजक द्वारा निर्माण कार्य की लागत का 1% का भुगतान, निर्माण कार्य पूर्ण होने के 30 दिन के अन्दर या उपकर निर्धारण के 30 दिन के अन्दर जो पहले हो किया जाना है। निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर वर्ष में किये गये कार्य हेतु वर्ष समाप्ति के 30 दिन के अन्दर उपकर का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। सेवायोजक द्वारा प्राक्कलित व्यय पर अग्रिम उपकर का भुगतान भी किया जा सकता है, जिसका समायोजन अन्तिम निर्धारण के समय किया जा सकता है।

उपकर संग्रहणकर्ता एवं निर्धारण अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है?

- उपकर संग्राहक/निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्माण लागत का 1% उपकर संग्रहण/निर्धारण के उपरान्त अवधारित धनराशि को कल्याण बोर्ड के पक्ष में "श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हल्द्वानी" के पद नाम से ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना है। यदि निर्माण कर्त्ता प्रतिष्ठान के सेवायोजक द्वारा उपकर का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है तो सैस निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे सेवायोजक को देय उपकर की धनराशि की सीमा तक अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है तथा भूराजस्व की भाँति वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है।

- अधिनियम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सेवायोजक निर्धारण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र–I में कार्य प्रारम्भ के 30 दिन के भीतर सूचना प्रेषित करेगा, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र में सूचना न दिये जाने, गलत सूचना दिये जाने, उपकर भुगतान से बचने का प्रयास करने के उल्लंघन में कल्याण बोर्ड के समक्ष उपालम्भ किया जा सकता है, जिस पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार को उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की स्वीकृति हेतु संदर्भित किये जाने का प्रावधान है।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा तद्संबंधी उपकर नियम, 1998 के प्राविधानानुसार शासन द्वारा अधिसूचना संख्या : 2279, दिनांक : 23 नवम्बर, 2005 द्वारा पूर्व में **जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेटों को उपकर निर्धारण के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी** नामित किया गया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या : 175, दिनांक : 02 फरवरी, 2015 द्वारा उपरोक्त नामित अपीलीय अधिकारियों के साथ–साथ **श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड** को भी उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमों के प्रयोजनार्थ अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ब्याज, पेनल्टी एवं वसूली आदि।

1–देय उपकर पर 2 प्रतिषत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

2–नियोजक कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन या उपकर (Cess) भुगतान के 30 दिन के भीतर प्रपत्र–1 में उपकर (d) निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी को सूचना प्रेषित करेगा।

3–उपकर की वसूली सेवायोजक से बतौर भू–राजस्व वसूली की भांति की जाएगी।

4–देय उपकर का भुगतान न करने पर उपकर की धनराषि के बराबर की धनराषि तक उपकर (Cess); निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड निर्धारित किया जा सकता है।

5–उपकर निर्धारण आदेष तथा अदत्त उपकर के संबंध में अवधारित पेनल्टी आदेष के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्राविधान है।

प्रारूप–I

- **भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।**

1–स्थापन का नाम और अवस्थिति जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

2–स्थापन का डाक पता।

3–स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो।

4–स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।

5–स्थापन में किये जा रहे/किये जाने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति।

6–किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।

7–भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की अनुमानित लागत।

8–भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तिथि।

9–संलग्न किये गये मांग–देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां (बैंक का नाम, धनराशि, मांग–देय ड्राफ्ट का क्रमांक और तारीख)।

–: नियोजक द्वारा घोषणा :–

(i) मैं, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(ii) मैं भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने का वचन देता हूँ।

मुख्य नियोजक मुद्रा सहित स्टांप

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय।

आवेदन प्राप्ति की तारीख :

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत नियमानुसार उपकर की वसूली हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर उपकर निर्धारण के संबंध में निम्नांकित दिषा–निर्देष जारी किये गये हैं :–

क. विभिन्न निर्माणदाई संस्थाओं/विभागों द्वारा कराये जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की कुल अनुमोदित डी०पी०आर० का 1 प्रतिषत उपकर राषि के रूप में काटते हुए धनराषि को सचिव कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जा कर Establishment/Registration under BOCW में ऑन लाइन जमा कराया जाना है।

ख. निजी क्षेत्र के आवासीय एवं अनावासी भवन जो अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके उपकर का निर्धारण उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न आय वर्ग तथा अनावासी सम्पत्तियों के कर निर्धारण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों (समय–समय पर पुनरीक्षित दरों के अनुसार) पर किया जाएगा। शासन द्वारा जारी निम्नांकित दरों के अनुसार उपकर का निर्धारित करते हुए 01 प्रतिषत सैस निम्नानुसार जमा किया जा सकता है :–

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न आय वर्ग तथा अनावासीय सम्पतियों के कर निर्धारण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारणः–

क्र॰ सं॰	भवनों का प्रकार	भूखंड का प्रकार (वर्ग मी॰ क्षेत्रफल)	समतुल्य कुर्सी क्षेत्रफल(वर्ग मी॰ क्षेत्रफल)	लो॰नि॰वि॰के समतुल्य श्रेणी	कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी॰ (Load Bearing Construction)		कुर्सी क्षेत्रफल दर प्रति वर्ग मी॰ (RCC Framed Structure)	
					पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू॰में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू॰में	पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू॰में	मैदानी क्षेत्र हेतु रू॰में
(अ) आवासीय सम्पत्तियाँ								
1	दुर्बल आय वर्ग	50 वर्ग मी॰ तक के भूखण्ड	42.95 वर्ग मी॰	श्रेंणी–1 के भवन	17210	14500	–	–
2.	अल्प आय वर्ग	50 वर्ग मी॰ से अधिक तथा 100 वर्ग मी॰ तक	57.70 वर्ग मी॰ से 79.00 वर्ग मी॰	श्रेंणी–2 एवं 3 के भवन	17210	14500	–	–
3.	मध्यम आय वर्ग	100 वर्ग मी॰ से अधिक तथा 200 वर्ग मी॰ तक	125.00 वर्ग मी॰ से 178.00 वर्ग मी॰	श्रेंणी–4 के भवन	18870	15900	21320	17970
4	उच्च आय वर्ग	200 वर्ग मी॰ से अधिक	225.00 वर्ग मी॰	श्रेणी–5 के भवन	20530	17300	21320	17970
(ब) अनावासीय सम्पत्तियाँ								
1	मध्यम अनावासीय	200 वर्ग मी॰ तक	–	–	19440	16380	21110	17790

1. उपकर जमा कराये जाने संबधी प्रक्रिया :–

उपरोक्त सारणी में श्रेणीवार प्रारूप–1 पर प्राधिकारी/ आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित उपकर को निम्नानुसार जमा कराया जाना है :–

क. संबंधित व्यक्ति स्वयं आंकलित धनराषि को सचिव कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/विभागीय पोर्टल uk.labour.gov.in में जा कर Establishment/ Registration under BOCW में ऑन लाइन जमा कराया जाना है।

ख. मानचित्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी 1 प्रतिषत उपकर की कटौती करके संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में जमा करायेंगे।

ग. समस्त विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत निर्माण कार्यों हेतु मानचित्रों की स्वीकृति के समय ही निर्माण लागत का 01 प्रतिषत उपकर कटौती किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही मानचित्र की स्वीकृति जारी करेंगे।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कौन है तथा फायदाग्राही कैसे बन सकते हैं?

सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे पुल, सड़क, हवाई–पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल–कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन–मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख–रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार हैं।

पुनः शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक : 05 फरवरी, 2014 द्वारा उक्त नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है :–

1–पत्थर की कटिंग, तोड़ना एवं क्रशिंग।

2–स्लैब/टाईल्स की कटिंग एवं पालिसिंग।

3–काष्ठकार्य, जिसमें पेंटिंग, वार्निशिंग आदि सम्मिलित है।

4–सीवरेज एवं प्लबिंग कार्य।

5–विद्युत कार्य, जिसमें वायरिंग, वितरण, पैनल लगाना आदि सम्मिलित हैं।

6–अग्निशमन तंत्र संस्थापन एवं मरम्मत।

7–शीतलक एवं तापक तंत्र संस्थापन एवं मरम्मत।

8–उत्थापक, स्वचलित सीढ़ी आदि संस्थापन।

9–सुरक्षा गेट्स, यंत्र आदि संस्थापन।

10–लोहे/धातु की जालियां, खिड़कियां, दरवाजों का निर्माण और लगाना।

11–जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।

12–आंतरिक कार्य, जिसमें दरी, छतगिरी, प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टर आफ पेरिस सम्मिलित है।

13–कांच की कटिंग, तह चढ़ाना एवं पैनल लगाना।

14–ईट, छतों की टाईल्स आदि का निर्माण, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आच्दादित न हो।

15–ऊर्जा कार्यकुशल उपकरण जैसे सौर पैनल आदि की स्थापना।

16–रसोईयों जैसे स्थानों में प्रयोगार्थ माड्यूलर ईकाईयों की स्थापना।

17–पूर्वनिर्मित कंक्रीट माड्यूल्स आदि का निर्माण एवं स्थापना।

18–खेलों/मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण, जिसमें तरणताल, गोल्फ का मैदान आदि सम्मिलित हैं।

19–पहचान सूचक को खड़ा करना, रोड फर्नीचर, बस स्टापों/गोदामों/ठिकाना, संकेतन प्रणाली आदि का निर्माण।

20–रोटरी का निर्माण, फब्बारों की स्थापना आदि।

21सार्वजनिक पार्कों, चलने हेतु पट्रियों, भूदृश्य निर्माण आदि की स्थापना।

सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, अपना पंजीकरण करा सकता है, जो पंजीकरण की तिथि से आगामी 03 वर्ष हेतु वैध होगा। निर्माण श्रमिक को पंजीकरण नवीनीकरण हेतु तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व धनराशि रूपया 100/– संबंधित पंजीकरण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, जहाँ की वह निर्माण श्रमिक के रूप में पूर्व में पंजीकृत है।

पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु का प्रमाण–पत्र तथा विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण–पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति जो पठनीय हो तथा बैक आधार कार्ड की छायाप्रति यदि हो तो प्रस्तुत करना आवश्यक है। पंजीकरण कराने वाले निर्माण श्रमिक द्वारा एकीकृत पंजीकरण फार्म में अंकित नाम निर्देशन संबंधी खण्ड को भरा जाना आवश्यक होगा। उक्त सभी प्रकार के प्रपत्र संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को आन–लाईन कर दिया गया है। निर्माण श्रमिकों द्वारा उपरोक्त में अंकित समस्त प्रकार के प्रपत्रों की सत्यापित प्रति को संबंधित पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में पूर्ण रूप से भर कर जमा कराना होगा। उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों को श्रम प्रवर्तन अधिकारी/ पंजीकरण अधिकारी द्वारा जांच तथा सही पाये जाने की स्थिति में पंजीकरण की संस्तुति के उपरान्त निर्माण श्रमिक पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण के उपरान्त स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार निर्माण श्रमिक को तत्काल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात स्मार्ट कार्ड/परिचय पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसमें निर्माण श्रमिक से संबंधित समस्त व्यौरा दर्ज होता है।

शासन द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारी

1—श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार एवं ऋषिकेश तथा श्रम विभाग के समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी।

2—लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पेयजल निर्माण निगम, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता।

3—नगर निगम के उपनगर अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता।

4—नगर पा़लिका/टाउन एरिया के अधिषासी अधिकारी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा हितलाभ का विवरण, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शतों के अधीन देय हैं :–

1– 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को रू०1,000 /– प्रति माह की दर से पेंशन तथा 65 वर्ष की आयु होने पर रू०1,500/– प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को रू०500/– प्रति माह।

(पेंशन का भुगतान छः माही आधार पर)

2– कामगारों को मकान की खरीद/निर्माण हेतु रू० 50,000/– तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा।

3– लकवा अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता पर रू०1,000 /– प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा रू०40,000/– तक की अनुग्रह राशि।

4– नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू० 5,00,000/– तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू०2,00,000/– की आर्थिक सहायता। (आश्रित द्वारा उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन मृत्यु की तिथि से 02 माह के भीतर पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।)

5–अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू०10,000/– की सहायता। (आश्रित द्वारा उक्त आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन मृत्यु की तिथि से 02 माह के भीतर पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।)

6–मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।

7–कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, शिक्षा के पाठ्क्रम तथा आर्थिक सहायता की धनराशि छः माही आधार पर निम्न प्रकार दी जाएगी :–

क–कक्षा 1 से कक्षा 5 तक रू०200/–प्रतिमाह।

ख–कक्षा 6 से कक्षा 8 तक रू०300 /–प्रतिमाह।

ग–कक्षा 9 से कक्षा 10 तक रू०400 /–प्रतिमाह।

घ–कक्षा 11 से कक्षा 12 तक/आई०टी०आई० रू०500 /–प्रतिमाह।

ड.–स्नातक/परास्नातक तथा उसके समकक्ष उपधि रू०800 /–प्रतिमाह।

घ–पालीटैक्निक हेतु रू०1000/–प्रतिमाह।

ड.–उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) रू०2500/–प्रतिमाह।

इसके अतिरिक्त आई०टी०आई०; पालीटैक्निक एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स फीस तथा हास्टल फीस भी बोर्ड की निधि से देय होगी

8–पंजीकृत कर्मकार को रू०10,000/– की सीमा तक के टूल–किट के रूप में सहायता।

9–अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाह के लिए तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए रू०51,000/– की आर्थिक सहायता।

10–महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में रू०10,000/– प्रसूति प्रसुविधा सहायता। **(यह सुविधा दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी)**

11–मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन।

12–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों हेतु सौर ऊर्जा सहायता। **पात्रता**–किसी भी अन्य योजना में सोलर लाईट/लालटेन का लाभ प्राप्त न किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा (पति/पत्नी, आश्रित माता–पिता, 21 वर्ष के कम आयु के पत्र अथवा अविवाहित पुत्री)

13–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को बारिश अथवा धूप से बचाव हेतु छाता उपलब्ध कराया जाना।

14–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को उनके क्षेत्र विषेष में (RPL) Recognition Of Prior Learning For Construction Workers Scheme के तहत प्रारम्भिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाना।

15–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की लड़कियों तथा महिलाओं को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाना।

16–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों (परिवार को एक इकाई मानते हुए) को शौचालय के निर्माण हेतु रूपया 12 हजार की आर्थिक सहायता (02 किश्तों में)

17–पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य संबधी समस्याओं(अत्यंत जटिल रोगों के निवारण हेतु) के समाधान हेतु बी०ओ०सी०डब्ल्यू० व्याधि निधि के अन्तर्गत सहायता।

18– पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों के परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में उन्हें NIESBUD (राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लधु व्यवसाय विकास संस्थान) के माध्यम से प्रषिक्षित कराना।

19– जयानन्द भारती कौषल विकास योजना।

नोट :–समस्त जनपदों में मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के निमार्ण कार्यों में कार्यरत निर्माण श्रमिकों को अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार के रूप में पंजीकृत करते हुए लाभान्वित किया जा रहा हैं।

मृत्यु संबंधी आर्थिक सहायता, अन्त्येष्ठि संस्कार हेतु सहायता एवं चिकित्सा संबंधी सहायता हेतु प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कर्मकार/आश्रित (यथास्थिति) हितलाभ पाने की पात्रता में आते हैं, जिसके लिए सदस्यता की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। भवन क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के लिए कर्मकार को पांच वर्षों से निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षता आयु में कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है। इस ऋण पर कम से कम 5% वार्षिक दर से ब्याज भी देय है। अन्य सभी आर्थिक सहायता हेतु पात्रता, सदस्यता ग्रहण करने अर्थात पंजीकरण के **तीन माह** पश्चात नियत है।

प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी०) योजना
DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT)

पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को टूल्स किट्स (इलेक्ट्रिशियन/कारपेन्टर/प्लम्बर/मजदूर/राजमिस्त्री तथा वैल्डर) पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रितों हेतु सिलाई मशीन तथा मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल के रूप में देय सहायता के अतिरिक्त श्रमिकों के हितार्थ संचालित अन्य हितलाभ जिनमें आर्थिक सहायता की धनराशि प्रदान की जाती है, हेतु **DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT)** अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी०) योजना आरम्भ की गई है।

जिसके तहत उक्त आर्थिक सहायताओं से संबंधित किसी भी योजना हेतु आवेदन करते समय पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा आवेदन करते समय आवेदन–पत्र में अंकित/वांछित समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों के अतिरिक्त परिचय–पत्र; आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की स्पष्ट पठनीय छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है ताकि वांछित आर्थिक सहायता की धनराशि सीधे निर्माण श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जा सके।

भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा–60 के अन्तर्गत दिये गये निर्देषः–

क– हाऊसिंग फार आल मिषन :–

1. भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या : 05 अगस्त 2015 द्वारा हाऊसिंग फार आल मिषन के तहत निर्माण श्रमिकों को भी रेंटल हाऊस उपलब्ध कराये जाने के निर्देष प्रदान किये गये थे।

2. पुनः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक : 07.06. 2016 में निर्देष दिये गये कि सैस के रूप में संग्रहित धनराषि का उपयोग मात्र निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में ही व्यय किया जाएगा तथा संग्रहित धनराषि का उपयोग किसी भी प्रकार के निर्माण (यथा–स्कूल; चिकित्सालय; प्रषिक्षण केन्द्र; शेड एवं शैल्टर; विश्राम गृह तथा छात्रावास) में न किया जाए।

उक्त संबंध में केन्द्र सरकार के स्तर पर स्पष्ट दिषा प्राप्त किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही किये जाने अनुरोध किया गया है।

ख– पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना से आच्दादित करना :– उक्त संबंध में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे समस्त निर्माण श्रमिक/कर्मकार जिनका कोई नियोक्ता नहीं है, उनका नियोक्ता कल्याण बोर्ड को बनाये जाने तथा उनके अंषदान को कल्याण निधि से आहरित करने हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डाटा बेस, कर्मचारी राज्य बीमा योजना निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से साझा करते हुए इस बात की जानकारी प्राप्त की जाए कि वर्तमान तक कितने निमार्ण श्रमिको को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

कोविड-19 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सहायता

- राज्य में कुल पंजीकृत निर्माण श्रमिक=302000
- कुल वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन को रुपये 2000/- की धनराशि (रुपये 1000/- दो माह तक DBT के माध्यम से) कोविड-19 में कल्याण बोर्ड द्वारा सहायता के रूप दिये गये = 236000 श्रमिक
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राशन किट का वितरण बोर्ड द्वारा स्वयम् किया जा रहा है

साभार धन्यवाद